

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, आ0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

समादेष्टा,
एस0डी0आर0एफ0, आपदा प्रबंधन विभाग।

पटना-15, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में मुख्य बजट शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-0104-राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स, विपत्र कोड-39-2245801020104, के अंतर्गत कुल ₹33,14,000 (तेतीस लाख चौदह हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-28/आ0प्र0 दिनांक-13.04.2017 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत कुल राशि ₹24,99,00,000/- (चौबीस करोड़ निन्यानवे लाख) में से आवंटित की जा रही है।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-0104-राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स, विपत्र कोड-39-2245801020104, मांग संख्या-39 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. आवंटित/पूर्व आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष/उपशीर्षवार निम्न प्रकार है:-
उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य
लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध मांग संख्या-39
उपशीर्ष-0104-राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स,

(राशि रूपये में)

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	वर्ष 2017-18 में पूर्व का आवंटन	वर्ष 2017-18 में वर्तमान आवंटन	कुल योग	अभ्युक्ति
1	06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	66,000 (छियाराठ हजार)	1,34,000 (एक लाख चौतीस हजार)	2,00,000 (दो लाख)	
2	11-यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	18,20,000 (अठारह लाख बीस हजार)	21,80,000 (इक्कीस लाख अस्सी हजार)	40,00,000 (चालीस लाख)	
3	21-सामग्री और आपूर्ति	01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	9,90,000 (नौ लाख नब्बे हजार)	10,00,000 (दस लाख)	19,90,000 (उन्नीस लाख नब्बे हजार)	
	कुल योग		28,76,000 (अठारस लाख छिहत्तर हजार)	33,14,000 (तेतीस लाख चौदह हजार)	61,90,000 (इकसठ लाख नब्बे हजार)	

5. यह आवंटन समादेष्टा, राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स के पत्रांक-15 दिनांक-04.01.2018 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। समादेष्टा, राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स से अनुरोध है कि यात्रा भत्ता भुगतान के पूर्व स्वयं संतुष्ट हो लें कि बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 69 (2) का अनुपालन किया जा

रहा है। स्वयं संतुष्टि के उपरान्त ही यात्रा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। किसी तरह की अनियमितता की स्थिति में समादेष्टा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।

6. किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति, उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस विभाग को शीघ्र भेज दिया जाय।

7. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि० (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 31.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

10. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय।

11. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

अपर सचिव

पटना-15, दिनांक-

ज्ञापांक-...../आ०प्र०,

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट)/ योजना एवं विकास विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

अपर सचिव

पटना-15, दिनांक-25/11/18

ज्ञापांक135/आ०प्र०

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/उप समादेष्टा एस०डी०आर०एफ०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव